

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29.08.2022:- आज यह प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी रंगा सिंह जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र झोरड़ उपस्थित आये। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते। प्रार्थी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ~~प्रार्थना-पत्र~~ के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफतर हो

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

